[भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
योजना आयोग
****

नई दिल्ली, तारीख 25 जनवरी, 2007.

अधिसूचना

सा.का.नि. .... रा-ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और योजना आयोग (सलाहकार) भर्ती नियम, 2005 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, योजना आयोग में सलाहकार के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ -

(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम योजना आयोग (सलाहकार) भर्ती नियम, 2007 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दि-ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दि-ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति -

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा ।

-/-

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह, ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेन प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन, अथवा अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
सलाहकार **1. कृषि-1** **2. शिक्षा-1** **3. ऊर्जा-1** **4. मूल्यांकन-1** **5. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण-1** **6. उद्योग एवं खनिज-1** **7. जल संसाधन-1** **8. श्रम, रोजगार एवं जन शक्ति-1** **9. परियोजना मूल्यांकन-1** **10. परिवहन-1** **11. परिप्रेक्ष्य योजना-1** **12. सामाजिक विकास एवं महिला सशक्तिकरण-1** **13. ग्रामीण विकास-1** **14. विकास नीति अनुसंधान-1** **15. सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी -1** **16. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी-1** **17. पर्यावरण एवं वन-1**	17 । (2007) ।कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय ।	18400-500-22400 रुपए / 22400-525-24500 रुपए ।	लागू नहीं होता ।

-/-

सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं, प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धतिः भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता ।	50 वर्ष से अधिक नहीं । (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिए 5 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है) टिप्पणीः आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में, अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मु-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खंड, अंदमान एवं निकोबार द्वीप और लक्ष्यद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)	स्तंभ सं. 1 में दर्शाए गए पदों के लिए विहित शैक्षणिक **एवं** अन्य अर्हताएँ इस अनुसूची के साथ संलग्न उपाबंध में दिए गए हैं ।	आयु : नहीं । शैक्षणिक अर्हताएँः हाँ ।	सीधे भर्ती किए गए व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।	प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) / सीधे भर्ती ।

प्रोन्नति / प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(12)
(क) 18400-500-22400 रुपए के लिए :-
रु. प्रोन्नति के लिए :
14300-400-18300 रुपए के वेतनमान वाले ऐसे विभागीय संयुक्त सलाहकारों में से जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच व-र्ा की सेवा की है और जिनके पास इन नियमों के उपाबंध में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । 'विभागीय संयुक्त सलाहकार' पद से ऐसे संयुक्त सलाहकार अभिप्रेत हैं और जिनमें केवल वे संयुक्त सलाहकार सम्मिलित हैं जो प्रोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हैं और इसके अन्तर्गत वे संयुक्त सलाहकार सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है ।
रुरु. प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) के लिए :
(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों (उनके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों सहित) या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों और अन्य गैर सरकारी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से - **(क) (त) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या** **(त्त) जिन्होंने 16400-20000 रुपए के वेतनमान वाले पदों पर या समतुल्य पर तीन व-र्ा नियमित सेवा की है; या** **(त्त्त) जिन्होंने 14300-18300 रुपए के वेतनमान वाले पदों पर या समतुल्य पर पांच व-र्ा नियमित सेवा की है, और** **(ख) जिनके पास इन नियमों के उपाबंध में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ।** **(जहां कर्मचारी औद्योगिक भत्ते से शासित होते हैं वहां उनकी समतुल्यता का अवधारण केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा । उन मामलों में जहां केन्द्रीय या औद्योगिक महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है वहां अधिकारी या तो शी-र्ा स्तरीय प्रबंधकीय स्थिति धारण करता हो या ऐसे स्तर पर निरन्तर पांच व-र्ा सेवा की हो जो कर्तव्यों और दायित्वों के अनुसार केन्द्रीय सरकार में निदेशक के स्तर के तुल्य हो)।** **(2) ऐसे आचार्यों में से जिन्होंने 16400-22400 रूपए के वेतनमान में तीन व-र्ा नियमित सेवा की है और जिनके पास इन नियमों के उपाबंध में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ।**

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(12)....जारी

(ख) 22400-525-24500 रुपए के लिए :-

रू. प्रोन्नति के लिए :

18400-500-22400 रुपए के वेतनमान वाले ऐसे विभागीय सलाहकारों में से जिन्होंने नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में पांच व-र्ा की सेवा की है और जिनके पास इन नियमों के उपाबंध में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है । 'विभागीय सलाहकार' पद से ऐसे सलाहकार अभिप्रेत हैं और जिनमें केवल वे सलाहकार सम्मिलित हैं जो प्रोन्नति अथवा सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किए गए हैं और इसके अन्तर्गत वे सलाहकार सम्मिलित नहीं हैं जिन्हें प्रतिनियुक्ति / संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया है ।

रूरू. प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) के लिए :

(1) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों (उनके संबद्ध अधीनस्थ कार्यालयों सहित) या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं या सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों या अर्द्धसरकारी या कानूनी या स्वशासी संगठनों और अन्य गैर सरकारी निकायों के ऐसे अधिकारियों में से -

(क) (त) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या

(त्त) जिन्होंने 18400-22400 रुपए के वेतनमान वाले पदों पर या समतुल्य पर पांच व-र्ा नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पार इन नियमों के उपाबंध में यथाविहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है ।

(जहां कर्मचारी औद्योगिक भत्ते से शासित होते हैं वहां उनकी समतुल्यता का अवधारण केन्द्रीय सरकार के अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा । उन मामलों में जहां केन्द्रीय या औद्योगिक महंगाई भत्ता लागू नहीं होता है वहां अधिकारी या तो शी-र्ा स्तरीय प्रबंधकीय स्थिति धारण करता हो या ऐसे स्तर पर निरन्तर पांच व-र्ा सेवा की हो जो कर्तव्यों और दायित्वों के अनुसार केन्द्रीय सरकार में संयुक्त सलाहकार के स्तर के तुल्य हो)।

टिप्पण (दोनों वेतनमानों अर्थात् 18400-22400 रुपए और 22400-24500 रुपए के लिए लागू)

1. पो-ाक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी अर्थात् क्रमशः विभागीय संयुक्त सलाहकार और विभागीय सलाहकार, प्रतिनियुक्ति (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है) पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार अविभागीय अभ्यर्थी प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी सम्मिलित है), जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि भी है, साधारणतया पांच व-र्ा से अधिक नहीं होगी ।

3. प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए, अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 व-र्ा से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
चयन करने के लिए निम्नलिखित समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति होगी - **1. योजना आयोग में सम्बद्ध वि-ाय का भारसाधक सदस्य** - अध्यक्ष **2. सचिव या सदस्य-सिचिव, योजना आयोग** - सदस्य **3. योजना आयोग से बाहर के सदस्य के रूप में तीन ऐसे विशे-ाज्ञ जो उपाध्यक्ष, योजना आयोग द्वारा निम्नलिखित में से नामनिर्दि-ट किए जाएं :** - सदस्य **(क) संबद्ध सैक्टर से संबंधित मंत्रालय या विभाग का सचिव ;** **(ख) किसी मंत्रालय या विभाग या लोक उपक्रम से भारत सरकार के सचिव का प्रास्थति के समतुल्य व्यक्ति ;** **(ग) सुसंगत संस्थाओं में ख्यातिप्राप्त प्राचार्य** **टिप्पण - छांटे गए अभ्यर्थियों के साथ व्यक्तिगत विचार-विमर्श करके वास्तविक चयन किया जाएगा और विभागीय प्रोन्नति समिति की सिफारिश के लिए उपाध्यक्ष, योजना आयोग तथा मंत्रिमंडल नियुक्ति समिति का अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा ।** पुन्टिकरण के लिए समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति होगी - **1. सचिव या सदस्य- सचिव, योजना आयोग** - अध्यक्ष **2. योजना आयोग में प्रशासन का प्रभारी प्रमुख सलाहकार या ज्ये-ट सलाहकार या सलाहकार या संयुक्त सचिव** - सदस्य	लागू नही होता ।

[फाइल सं. ए-12018/2/2006-प्रशासन-1]

कृते
(के.के. छाबड़ा)
अवर सचिव, भारत सरकार

महा प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
रिंग रोड, माया पुरी, नई दिल्ली.

******

प्रतिलिपि : -

1. कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली को उनके दिनांक 04-09-2006 के डायरी सं.348/यू.एस./आर.आर./06 के संदर्भ में ।
2. विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली को उनके दिनांक 22-12-2006 के डायरी सं.2590/06 के संदर्भ में ।
3. विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, राज भा-ा खण्ड, भारतीय विधि संस्थान भवन, 6, भगवान दास मार्ग, नई दिल्ली को उनके दिनांक 24-01-2007 के डायरी सं.01/2007-वि-1(हिन्दी) के संदर्भ में ।
4. लोक सभा सचिवालय (अधीनस्थ विधायीकरण समिति के लिए) ।
5. राज्य सभा सचिवालय (अधीनस्थ विधायीकरण समिति के लिए) ।
6. योजना आयोग के उपाध्यक्ष /योजना राज्यमंत्री/ सभी सदस्य / सदस्य-सचिव के निजी सचिव ।
7. योजना आयोग के सभी प्रधान सलाहकारों / सभी ज्ये-ठ सहालकारों / सभी सहालकारों / सुंक्त सचिव (राज्य योजना) ।
8. योजना आयोग पुस्तकालय, योजना आयोग (5 प्रतियाँ) ।
9. सभी प्रशासन अनुभाग, योजना आयोग ।
10. संगठन एवं पद्धति और समन्वय अनुभाग, योजना आयोग ।
11. योजना आयोग के वेबसाइट पर ।

कृते
(के.के. छाबड़ा)
अवर सचिव, भारत सरकार

उपाबंध

(अनुसूची का स्तंभ 8 देखें)

1. सलाहकार (कृ-ि):

आवश्यक

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से कृ-ि या कृ-ि विज्ञान या कृ-ि अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) सुसंगत विधाओं में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 व-र्ा का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 व-र्ा का अनुभव) जिसमें से कम से कम 5 व-र्ा का अनुभव परियोजना या कार्यक्रम तैयार करने और उनकी मानीटरी या मूल्यांकन या अंकन करने में होना चाहिए ।

वांछनीय

(i) कृ-ि या कृ-ि विज्ञान या कृ-ि अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट डिग्री ।

(ii) कृ-ि उत्पादन या विकास में जिला या खंड या परियोजना स्तर पर क्षेत्र अनुभव ।

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार में कृ-ि विकास या विस्तार में परियोजनाओं या स्कीमों की मानीटरी करने का अनुभव ।

(iv) कृ-ि क्षेत्र में परियोजना के विकल्प के संबंध में सलाह देने का अनुभव ।

2. सलाहकार (शिक्षा):

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्रप्त विश्वविद्यालय से किसी वि-ाय में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में डिग्री ।

-/-

(ii) अनुसंधान या विकास या योजना या प्रशासन या प्रबन्ध या शिक्षण आदि में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का अनुभव शिक्षा नीति, योजना या प्रबन्ध से संबंधित होना चाहिए ।

वांछनीय :

(i) डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी मे मास्टर डिग्री ।

(ii) शासन या नीति निर्माण या अनुसंधान प्रकाशनों से संबंधित शैक्षिक संस्थाओं में शिक्षा या योजना या वित्त से संबंधित उच्च स्तर पर कार्य करने का अनुभव ।

(iii) शिक्षा के क्षेत्र में परियोजना रिपोर्टों या योजना दस्तावेजों में तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन या परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में अनुभव ।

3. सलाहकार (ऊर्जा) :

आवश्यक

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान या भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान या प्रबंध में मास्टर डिग्री या विद्युत या खनन या रसायन या यांत्रिक इंजिनीयरी डिग्री या रसायन या तेल या पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।

(ii) सुसंगत क्षेत्रों में में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) जिसमें से कम से कम 5 वर्ष का ऊर्जा या अनुसंधान या डिजाईन या विकास या योजना या परियोजनाओं का नि-पादन या विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में कार्यक्रम या पारे-ण या अन्वे-ण या पारम्परिक या गैर-पारम्परिक ऊर्जास्त्रोतों में अनुभव ।

वांछनीय

(i) सुसंगत विनिर्दि-ठ वि-नयों में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी मास्टर डिग्री ।

(ii) विद्युत या उत्पादन या कोयला या लिग्नईट या पेट्रोलियम के क्षेत्र में दीर्घ कालिक भौतिक और प्राकृतिक योजना की समस्याओं की जानकारी ।

(iii) तकनीकी या आर्थिक मूल्यांकन, परियोजना या कार्यक्रम मूल्यांकन, उक्त किसी क्षेत्र में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट का अनुभव ।

(iv) विद्युत उत्पादन या पारेशण या पेट्रोलियम या उद्योग या अन्वे-ण और पारंपरिक या गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के उपयोग की नवीनतम प्रवृत्ति या गतिविधियों की जानकारी ।

4. सलाहकार (मूल्यांकन):

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्रप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या कारबार प्रशासन या संक्रिया अनुसंधान विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के लिए 15 व-र्ा का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 व-र्ा का अनुभव) जिसमें से कम से कम 5 व-र्ा का अनुभव आर्थिक अनुसंधान के संचालन या अनुसधान के मार्गदर्शन या परियोजना मूल्यांकन के अंकन और विश्ले-ण में होना चाहिए ।

वांछनीय :

(i) सुसंगत विनिर्दि-ट वि-नय में डाक्टरेट डिग्री ।

(ii) आधुनिक अनुसंधान पद्धति, सर्वेक्षण पद्धति, नमूना तकनीकी, आर्थिक माड्यूलों का उपयोग, लागत-फायदा विश्ले-ण के अनुप्रयोजन आदि का ज्ञान या अनुभव ।

(iii) प्रकाशनों द्वारा यथा साक्ष्यित सुसंगत क्षेत्रों में अनुभव ।

5. सलाहकार (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण):

आवश्यक

(i) प्रथम या द्वितीय अनुसूची या तीसरी अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित कोई मान्यताप्राप्त चिकित्सीय अर्हता (भारतीय चिकित्सा परि-द अधिनियम, 1956 के लिए अनुज्ञप्ति प्राप्त व्यक्ति की अर्हताओं से भिन्न) जिसमें स्नातकोत्तर उपाधि या औ-धि या शल्य चिकित्सा, जन स्वास्थ्य या किसी भी संबद्ध विशि-टता में डिप्लोमा भी है । तीसरी अनुसूची के भाग-2 में सम्मिलित शैक्षिक अर्हताओं के धारकों को भारतीय चिकित्सा परि-द् अधिनियम, 1956 की धारा 13 की उप-धारा (3) में नियत शर्तें भी पूरी करनी चाहिएं ।

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों, स्वायत्त् संस्थाओं या सामुदायिक स्वास्थ्य संगठनों के अधीन समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 व-र् का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 व-र् का अनुभव) जिसमें से जनस्वास्थ्य में सामुदायिक स्वास्थ्य देखभाल या अनुसंधान या शिक्षा या नियोजन और प्रशासन के क्षेत्र में कम से कम 5 व-र् का व्यावहारिक और प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए ।

वांछनीय

(i) संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम प्रवृत्तियों या तकनीकों या उद्घटनाओं या कार्यक्रमों का ज्ञान ।

6. सलाहकार (उद्योग एवं खनिज):

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या अर्थशास्त्र या कारबार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में उपाधि ।

-/-

(ii) समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के लिए 18 वर्ष का अनुभव) औद्योगिक विकास या औद्योगिक नीति विश्लेषण या औद्योगिक परियोजनाओं का प्रबन्धन और मूल्यांकन के संवर्धन या नियोजन या औद्योगिक विकास कार्यक्रमण में वृत्तिक या अनुसंधान या शिक्षण या प्रबन्धकीय अनुभव जिसमें से सरकारी या अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और / या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर औद्योगिक उपक्रमों और औद्योगिक संवर्धन अभिकरणों में शीर्ष स्तरीय प्रबन्धकीय पदों पर उच्चस्तरीय नीति संबंधी सलाह के पदों पर कम से कम पांच वर्ष से कार्यरत होने चाहिए ।

वांछनीय :

सुसंगत विनिर्दिष्ट विषयों में उपाधि या इंजीनियरी में स्नातकोत्तर उपाधि हो ।

7. सलाहकार (जल संसाधन):

आवश्यक

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल या जल या जलसंसाधन इंजीनियरी में डिग्री या सुसंगत विशेषज्ञता के साथ अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) जल संसाधन या जलप्रबंधन या पीने के पानी का प्रदाय के क्षेत्र में अनुसंधान या विकास या योजना या मानीटरी या मूल्यांकन या निष्पादन में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव), जिसके अन्तर्गत नदी घाटी परियोजना, जल संसाधन विकास, कमान क्षेत्र विकास, बाढ़ नियंत्रण, जल और अपशिष्ट जल का प्रबन्ध, निकासी, जल प्रदाय, मलवहन, स्वच्छता, ठोस अपशिष्ट प्रबन्ध आदि भी सम्मिलित हैं ।

वांछनीय

(i) सुसंगत विनिर्दिष्ट विषयों में इंजीनियरी में मास्टर डिग्री या अर्थशास्त्र में डाक्टरेट डिग्री ।

(ii) प्रकाशनों द्वारा यथा साक्ष्य रूप में आलोचनात्मक संवीक्षा, मूल्यांकन रिपोर्ट, अनुसंधान रिपोर्ट आदि तैयार करने का अनुभव ।

(iii) संबध्द क्षेत्रों में अद्यतन रुझानों या विकासों का ज्ञान ।

8. सलाहकार (श्रम, रोजगार एवं जन शक्ति):

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्रप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) श्रम या रोजगार या जनशक्ति क्षेत्र में अनुसंधान या विकास परियोजनाओं के मूल्यांकन या कार्यक्रमों के मूल्यांकन में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) पदधारी को श्रम विधियों या समस्याओं से अवगत होना चाहिए, उसे जनसंख्या, साख्यिकी और रोजगार समस्या पर उसके प्रभाव की जानकारी होना चाहिए और समस्या पर उनका समाधान और युक्ति रोजगार वृद्धि स्कीमों पर सफलतापूर्वक कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त योजना शैली और नीति विकसित करने की योग्यता होनी चाहिए ।

वांछनीय :

(i) अर्थशास्त्र या सांख्यिकी में डाक्टरेट डिग्री ।

(ii) उस क्षेत्र में प्रकाशित अनुसंधान कार्य ।

9. सलाहकार (परियोजना मूल्यांकन):

आवश्यक

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या सांख्यिकी या विज्ञान या संक्रिया अनुसंधान या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।

-/-

(ii) अनुसंधान या डिजाईन या विकास या परियोजनाओं या कार्यक्रमों के बनाने और उनके मूल्यांकन या अंकन या बृहत् विनिधान वाली परियोजनाओं के विकल्प या कार्यक्रमों में सलाह देने में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 व-र्ा का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 व-र्ा का अनुभव) ।

वांछनीय

(i) सुसंगत विनिर्दि-ट वि-ायों में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डाक्टरेट या मास्टर डिग्री ।

(ii) परियोजनाओं या कार्यक्रम अंकन या पुनर्विलोकन या मूल्यांकन या तकनीकियों के क्षेत्र में अद्यतन प्रवृत्तियों और विकासों का ज्ञान ।

10. सलाहकार (परिवहन):

आवश्यक

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या कारबार प्रशासन या परिवहन अध्ययन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।

(ii) समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 व-र्ा का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 व-र्ा का अनुभव) जिसमें कम से कम पांच व-र्ा का अनुभव परिवहन अनुसंधान या विकास या योजना या नि-पादन या यातायात या पूर्वानुमान घो-ाणा या परियोजना तैयार करने या पूर्विकता अवधारण आदि में होना चाहिए ।

वांछनीय

(i) सुसंगत विनिर्दि-ट वि-ायों में डाक्टरेट डिग्री अथवा इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री ।

-/-

(ii) राज्य या रा-ट्रीय स्तर के परिवहन प्रबन्ध संगठन में अनुभव ।

(iii) परिवहन की एक से अधिक विधियों से संबंधित प्रबन्ध या योजना बनाने का अनुभव ।

(iv) संबंधित क्षेत्रों में नवीनतम प्रवृत्ति या गति का ज्ञान ।

11. सलाहकार (परिप्रेक्ष्य योजना):

आवश्यक

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या अर्थमिति या सांख्यिकी या वाणिज्य में (अर्थशास्त्र और सांख्यिकी सहित) संक्रिया अनुसंधान या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।

(ii) निम्लिखित में से एक या अधिक में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 व-र्ा का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 व-र्ा का अनुभव) ।

(क) पूर्वानुमान माड्यूलों के बनाने,
(ख) बहु-क्षेत्रीय योजना प्रतिमान पद्धतियों के क्रियान्वयन और संचालन,और
(ग) खपत, नियोजन और जनशक्ति विवक्षाओं के आर्थिक रुझानों का मूल्यांकन ।

(iii) ख्यातिप्राप्त वृत्तिक जर्नलों में प्रकाशित कृति का अभिलेख ।

वांछनीय

(i) सुसंगत विनिर्दि-ट वि-ायों में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में मास्टर डिग्री ।

(ii) बृहत् मेन फ्रैम कम्प्यूटर प्रणालियों पर कार्यक्रमण और कार्य करने की जानकारी ।

-/-

(iii) दीर्घ कालीन विकास योजना बनाने के क्षेत्र में जिसमें रा-ट्रीय स्तर पर प्रतिमानों का उपयोग करते हुए भौतिक और वित्तीय योजना बनाना भी है, नवीनतम प्रवृत्तियों या गतिविधियों की जानकारी ।

(iv) गरीबी और उपभोग व्यवहार का अध्ययन ।

12. सलाहकार (सामाजिक विकास एवं महिला सशक्तिकरण):

आवश्यक

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अधिमानतः विज्ञान वि-नय में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

(ii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या स्वशासी संस्थाओं या अंतर्रा-ट्रीय संगठनों में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 व-र्ा का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 व-र्ा का अनुभव) जिसमें से पांच व-र्ा का अनुभव पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति या शारीरिक विकलांग, जनजातीय विकास, महिला और बाल विकास आदि के संबंध में सामाजिक न्याय के क्षेत्र में विकास परियोजना या कार्यक्रमों में अनुसंधान या अंकन या योजना या नि-पादन में होना चाहिए ।

वांछनीय

(i) संबंधित विनिर्दि-ट वि-नय में डाक्टरेट डिग्री ।

(ii) बहु विधा के क्षेत्रों में परियोजनाओं या कार्यक्रमों के संचालन या आयोजन या मार्गदर्शन या योजना या नि-पादन या अंकन का अनुभव ।

(iii) समाजशास्त्र या मानवशास्त्र या विशे-ा कार्य में प्रकाशित रचनाओं के साक्ष्य सहित अनुसंधान का अनुभव ।

13. सलाहकार (ग्रामीण विकास):

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्रप्त विश्वविद्यालय से अधिमानतः सामाजिक विज्ञान में मास्टर डिग्री।

(ii) गरीबी उन्मूलन या लोक सहकारिता या पंचायती राज संस्थाओं या ग्रामीण अवसंरचना या ग्रामीण आवास या भूमि सुधारों आदि से संबंधित विभिन्न ग्रामीण विकास परियोजनाओं या कार्यक्रमों के अनुसंधान या अंकन या योजना या नि-पादन में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के लिए 15 व-र्ा का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 व-र्ा का अनुभव)।

वांछनीय :

(i) सुसंगत विनिर्दि-ट वि-ाय में डाक्टरेट डिग्री ।

(ii) जिला या प्रभाग या परियोजना स्तर पर क्षेत्र अनुभव ।

(iii) उस क्षेत्र में प्रकाशित कार्य का अनुभव ।

(iv) ग्रामीण विकास में अद्यतन सरकारी परियोजनाओं या कार्यक्रमों या स्कीमों का ज्ञान ।

14. सलाहकार (विकास नीति अनुसंधान):

आवश्यक

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र या अर्थमिति या संक्रिय अनुसंधान या कारबार प्रशासन में मास्टर डिग्री ।

-/-

(ii) सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान और /या अर्थमिति कार्य में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव) ।

(iii) सैद्धांतिक और अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र या अर्थमिति कार्य की प्रकाशित प्रतिवेदनों या लेखों या अनुसंधान पत्रों का साक्ष्य ।

वांछनीय

(i) संबंधित विनिर्दिष्ट विषय में डाक्टरेट डिग्री ।

(ii) नीति विषयक अधिमानतः आर्थिक सिद्धांत या आर्थिक नीति में विशेषज्ञता से संबंधित उच्च स्तरीय अनुसंधान संगठनों में अनुभव ।

15. सलाहकार (सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी):

आवश्यक

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या अर्थशास्त्र या कारबार प्रशासन में स्नातकोत्तर उपाधि या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी की किसी शाखा में उपाधि या समतुल्य ।

(ii) समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के वेतनमान के लिए 15 वर्ष का अनुभव (22400-525-24500 रुपए के वेतनमान के लिए 18 वर्ष का अनुभव), निम्नलिखित क्षेत्रों , अर्थात् ई-शासन, दूरसंचार उद्योग, प्रसारण मीडिया, इलेक्टोनिक उद्योग (हार्डवेयर और साफ्टवेयर), सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सामाजिक उपयोजन, आदि, के एक या अधिक क्षेत्रों से संबंधित नीति के निर्माण, कार्यान्वयन, मानीटरी और वित्त पोषण में अनुभव जिसमें से सरकारी या अन्य पब्लिक संस्थाओं और/ या पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर औद्योगिक उपक्रमों और औद्योगिक संवर्धन अभिकरणों में शीर्ष स्तरीय प्रबंधकीय पदों पर उच्चस्तरीय नीति संबंधी सलाह के पदों पर कम से कम पांच वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।

-/-

(iii) सूचना और संचार प्रोद्योगिकी में अद्यतन रुझानों और प्रौद्योगिकियों से सुपरिचित ।

वांछनीय

(i) उपरोक्त वि-यों में से किसी वि-य में डाक्टरेट की उपाधि या इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर उपाधि हो ।

16. सलाहकार (विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी):

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी प्रौद्योगिकी में डिग्री या समतुल्य ।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी नीति, योजना और बजट मूल्यांकन या मानिटरी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी कार्यक्रमों या स्कीमों या परियोजनाओं के मूल्यांकन में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के लिए 15 व-र्ा का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 व-र्ा का अनुभव)।

(iii) रा-ट्रीय और अंतर्रा-ट्रीय दोनों स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अद्यतन प्रवृत्तियों और गतिविधियों का ज्ञान ।

वांछनीय :

(i) सुसंगत विनिर्दि-ट वि-य में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री ।

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी में बहु विधा शाखाओं या सीमान्त क्षेत्रों में अनुसंधान करने या योजना बनाने, विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजनाओं या कार्यक्रमों तथा उनके अंकन या मल्यांकन करने के क्षेत्र में अनुभव ।

-/-

17. सलाहकार (पर्यावरण एवं वन):

आवश्यक :

(i) किसी मान्यताप्रप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान या पर्यावरणीय विज्ञान या जैव विज्ञान या कार्बनिक रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में डिग्री या वानिकी या पर्यावरण या वन्य प्राणी प्रबन्ध में स्नातकोत्तर डिप्लोमा या समतुल्य ।

(ii) वन या वन्य प्राणी प्रबन्ध या जैव विविधता और पर्यावरणीय संरक्षण के क्षेत्र में योजना प्रक्रिया, योजना कार्यक्रमों या नीतियों का निर्माण या नि-पादन में समूह 'क' या समतुल्य स्तर पर 18400-500-22400 रूपए के लिए 15 व-र्ा का अनुभव (22400-525-24500 रूपए के वेतनमान के लिए 18 व-र्ा का अनुभव)।

वांछनीय :

(i) सुसंगत विनिर्दि-ट वि-ाय में डाक्टरेट डिग्री या इंजीनियरी में मास्टर डिग्री ।

(ii) सरकार में योजना या नीति और बजट बनाने के संबंध में अनुभव ।

(iii) सुसंगत सैक्टर में अद्यतन प्रवृत्तियों और उद्घटनों का ज्ञान ।

(iv) सुसंगत वि-ायों के संबंध में अनुसंधान या प्रकाशित कार्य का साक्ष्य ।

****